कार्यालय-संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, रायपुर (छ.ग.)
(निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड, शंकरनगर)

-:-

क्रमांक/CIF/NAKSHA/I(H) /VI/08/09/KRB/1507 रायपुर, दिनांक :- 29/12/09

प्रति,

अधिभोगी/प्रबंधक
मे. आर्यन कोल बेनीफिकेशन्स प्रा० लि०
चिसरी कोलवासरी ग्राम चिसरी कटघोरा कोरबा

विषय :- कारखाने भवन की नक्शों के अनुमोदन बाबत् ।

-:-

उपरोक्त उल्लेखित कारखाने के नक्शों की एक प्रति निम्न शर्तो के साथ अनुमोदित की जाकर इस पत्र के साथ भेजी जा रही है :-

01. यह अनुमोदन कारखाने के साईट या स्थल का अनुमोदन नहीं है ।
02. यह अनुमोदन जमीन संबंधी किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं करता ।
03. यह अनुमोदन भवन निर्माण के लिए अथवा अन्य सामग्री प्रदाय करने के संबंध में गारंटी नहीं देता ।
04. कारखाना अधिनियम 1948 तथा म0प्र0 एवं छ0ग0 कारखाना नियमावली 1962 के अंतर्गत मुक्ति आवश्यक व्यवस्थाओं जो इन नक्शों में दर्शायी नहीं गई है से यह अनुमोदन आदेश मुक्ति नहीं देता। उनका पूरा पालन किया जाना आवश्यक है ।
05. कारखाने में एफ्ल्यूएन्ट्स तथा ट्रेडवेस्ट संबंधी योजना आपको स्थानीय पब्लिक अधिकारी अथवा पब्लिक़ इंजीनियर, छत्तीसगढ़ शासन रायपुर, प्रदूषण निवारण मण्डल अथवा संबंधित अन्य विभागों से पृथक से नियमानुसार अनुमोदन कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ।
06. कारखाने के प्रागण में मूत्रालय तथा सेप्टिक टैंक प्रद्धति के शौचालय की व्यवस्था करना पुरूष तथा महिला श्रमिकों के उपयोग हेतु म0प्र0 एवं छ0ग0 कारखाना नियमावली 1962 के नियम 50 से 54 के अनुसार की जावेगी ।
07. निर्माण प्रक्रिया चालू करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र-2 स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करें ।

संलग्न-नक्शें नग- चार 04

Dy. मुख्य कारखाना निरीक्षक
for Chief Inspector of Factories
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
Govt of C G Rarpur

पृ0क्र0/CIF/NAKSHA/I(H) /VI/ 08/09/KRB/ रायपुर, दिनांक:-

प्रतिलिपि :-

उप संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मुख्यालय रायपुर/ डिवीजन रायपुर/ बिलासपुर / दुर्ग/ रायगढ़ की ओर उनके पत्र क्र. 921 दिनांक 31.9.2009 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

संलग्न :- नक्शे नग - चार 04

हस्ता/-

Dy. मुख्य कारखाना निरीक्षक
for Chief Inspector of Factories
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर
Govt of C G Rarpur

Cov. letter -3-